

6

प्रस्तावसं० - 19811/2016

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक या वन विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाना है )

13	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और विशेष सिफारिशें	ccf. Anupam Gupta की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है ।
----	---	--

(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक, द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और उस पर टिप्पणियां दी जानी चाहिए )

तारीख - 29/7/22  
स्थान-

Anupam Gupta  
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer  
हस्ताक्षर  
U.P. Lucknow  
नाम एवं पदनाम  
सरकारी मोहर